भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1792

30 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

सार्वजनिक उपयोग के लिए समोच्च योजनाओं की उपलब्धता

†1792. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से पश्चिमी घाट जैसे भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए देश की समोच्च योजनाओं और डिजिटल उन्नयन मॉडल (डीईएम) को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने का प्रस्ताव है, ताकि पर्यावरण उल्लंघनों की सहभागी योजना और निगरानी को सुगम बनाया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्लेटफॉर्म सहित जिन पर ऐसे डेटा उपलब्ध कराए जाएँगे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जारी किए जाने वाले डेटा का समाधान क्या है;

(ग) क्या गति शक्ति पहल या इसी तरह की नीति सार्वजनिक उपयोग के लिए समोच्च योजनाओं और डीईएम को सार्वजनिक रूप से जारी करना अनिवार्य करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे डेटा तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन डेटा सेटों को आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च-रिज़ॉल्यूशन डीईएम और समोच्च डेटा नागरिकों/स्थानीय निकायों द्वारा, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में, अनुसंधान/योजना/निगरानी के लिए सुलभ हों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): वर्तमान में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के स्थलाकृतिक डेटासेट से सृजित डीईएम और ओपन सीरीज़ मैप्स (ओएसएम) में मौजूद आकृतियाँ https://onlinemaps.surveyofindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने

हाल ही में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन (एनजीएम) की घोषणा की है, जिसके तहत पूरे देश के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑर्थो-इमेजरी (ओआरआई) और उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जिसमें पश्चिमी घाट जैसे भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों में सहभागी योजना और पर्यावरणीय उल्लंघनों की निगरानी शामिल है।

(ग) से (ङ): भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा सेवाओं के अधिग्रहण और प्रकाशन हेतु दिशानिर्देश, 2021 में प्रावधान है कि सार्वजनिक धन से उत्पादित सभी भू-स्थानिक डेटा, सुरक्षा/कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्रित वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा को छोड़कर, सभी भारतीय संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाएगा और उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी एजेंसियों को यह पहुँच बिना किसी शुल्क के और अन्य एजेंसियों को उचित एवं पारदर्शी मूल्य पर प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022, सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके एकत्रित या विकसित किए गए स्थान आयाम वाले सभी डिजिटल डेटा के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस स्थापित करने और उसे सुदृढ़ करने का प्रावधान करती है ताकि उस तक सुलभ पहुँच, साझाकरण, उपयोग और पुन: उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके तैयार किए गए स्थलाकृतिक डेटा और अन्य भू-स्थानिक डेटा को सार्वजनिक हित में माना जाता है और आसानी से उपलब्ध है। तदनुसार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और आपदा-प्रवण क्षेत्रों (जैसे तटीय क्षेत्र और नदी बेसिन) के डीईएम/समोच्च डेटा, जो विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत एसओआई द्वारा तैयार किए गए हैं, सभी भारतीय संस्थाओं के लिए सुलभ हैं।

*****